© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

वर्तमान में नारी सशक्त होकर भी असहाय क्यों?

सुनीता रानी, शोधार्थी एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय कैथल (हरियाणा)

ISSN : 2278-6848 03
9 772278 684800
© International Journal for Research Publication and Seminar

वैदिक साहित्य, धर्मग्रन्थों और भारतीय संस्कृति में स्त्री को पुरूष की अर्धांगिनी माना गया है तथा भारतीय साहित्य में स्त्री के लिए नारी, वामा, सुन्दरी, प्रमदा, ललना, अबला, माता, देवी, महिला आदि शब्दों का उल्लेख किया गया है।

स्त्री कितनी है सशक्त आदि शक्ति को पूजने वाले भारत में शक्तिपुंज के रूप में स्थापित हो चुकी है आम महिला, लेकिन प्रश्न यह है कि आज भी पूर्वागह से क्यों ग्रस्त है पुरूष मानसिकता? यह सत्य है कि 'हम' आज भी पूर्वाग्रही सोच से ग्रस्त हैं, तथा हमारी मानसिकता में आज महिला के प्रति अनेक प्रकार के विकार उदयीमान हैं।

नारी को सशक्त बनाने के लिए जो भी अवसर उपलब्ध करवायें जायें अति आवश्यक हैं उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक मान्यताओं, अवधारणाओं और क्रियात्मकता को शक्ति के साथ जोड़कर देखा जाये। पुरूष और स्त्री की सामाजिक स्थिति में अन्तर के कारण हमारी पुरातन, धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं में ही छिपे हैं। भारतीय परम्परा में जैविक एवं लैंगिक अन्तर के आधार पर स्त्री–पुरूष में अन्तर किया गया है और यही अन्तर जीवन के लगभग सभी पक्षों में स्पष्ट रूप से दिखता है।

स्त्री सशक्तिकरण के महत्व को आज कोई भी नकार नहीं सकता और शायद इसीलिए प्रतिदिन स्त्री सशक्तिकरण का शोर है। लेकिन केवल भाषण देने और सेमिनार आयोजित करने से ही स्थिति बदलने वाली नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की और प्रभावी कदमों की। वर्तमान में सरकार की कुम्भकर्णी नींद अब टूट चुकी है और सभी कार्यक्रमों व योजनाओ का घोषित–अघोषित लक्ष्य अब स्त्री सशक्तिकरण ही है।

बीसवीं शताब्दी का पहला दशक महिला शक्ति के जय घोष का दशक था। शताब्दी के दूसरे दशक में महिला समाज ने उपलब्धियों के नये और महत्वपूर्ण आयाम तय किये। तृतीय दशक में महिला अपने तमाम बंधनों से मुक्त होकर सफलता के शिखर तक पहुँच चुकी थी। बीसवीं शताब्दी का चौथा दशक भारतीय महिलाओं की देशभक्ति के चरम उत्कष और प्रदर्शन का था। सदी का सातवां दशक महिला एवं पुरूष के अधिकारों की समानता प्राप्ति हेतु आन्दोलन का रहा। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में भारतीय महिलाओं में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ी।

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में महिलाओं ने राष्ट्रीय मंच के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस दशक में महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में छ राज्यों

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

में सत्ता संभालने का कार्य किया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज तथा स्थानीय निकाय की सभी संस्थाओं में एक तिहाई अर्थात् 33 प्रतिशत पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 1994 में कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध दण्डात्मक कानून बनाया गया तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाये। भारतीय वायुसेना तथा सुरक्षा बलों में महिलाओं को प्रवेश दिया गया।

21वीं सदी को महिला सदी के रूप में जाना जाता है। शिक्षा, खेल, शासन, प्रशासन, कला, विज्ञान, अनुसंधान, अंतरिक्ष साहित्य, समाज–संस्कृति, राजनीति, सेना के हर क्षेत्र में वे प्रवेश पा चुकी हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार संबंधी कानून बनाये गये हैं।

महिला सशक्तिकरण की दशा एवं दिशा में इक्कीसवीं शताब्दी महिला शताब्दी का युग हैं। इस शताब्दी का प्रथम दशक महिला उपलब्धि दशक है।

हमारे देश में महिलाएं राजनीति में सक्रिय तब तक नहीं हो सकती जब तक राजनीतिक दल अपने–अपने दलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते। संसद में महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु बिल पिछले कई वर्षो से लंबित है।

यह कटु सत्य है कि कोई भी राजनीतिक दल सच्चे मन से महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का इच्छुक नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव के समय वोट हासिल करने के लिए महिलाओं के आरक्षण की आवाज बुलन्द करते हैं। यही कारण हैं कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2003 से आज तक लम्बित है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न क्षेत्रीय दल संसद में इस बिल का विरोध किसी न किसी आधार पर करके इसके पास होने में सबसे बड़ी रूकावट डालते हैं।

मनी, मसल्स और मैन पावर की तिगड़ी के कारण आम जनता का चुनावों से विश्वास डगमगा रहा है। इस चुनावी प्रवृत्ति का प्रभाव महिलाओं पर अत्यधिक पड़ा है। इस कुरीति की रोकथाम के लिए सरकार व चुनाव आयोग अभी तक सक्षम नहीं हो पाये। गुंडा गर्दी तथा बाहुबलता के अभाव में महिलाएं राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया में न केवल संकोच करती है बल्कि भयभीत भी रहती हैं। फलस्वरूप आम महिलाएं राजनीति में भाग लेने हेतु आगे नहीं आ पाती।

यह भी सत्य है कि कि वर्तमान में राजनीति में महिलाएं काफी संख्या में आ रही हैं और सफल भी हो रही हैं लेकिन उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। भारत वर्ष में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या की आधी है तो क्या उन्हें राजनीति में संविधान के अनुसार 50 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक नियमानुसार विधायिका में महिलाओं को पूरा 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था दी गई है।

यह सभी दल स्वीकार करते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं कि राजनीति में महिलाओं को समान स्थान मिलना चाहिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर महिलाओं को उपलब्ध करवाये जाने चाहिए परन्तु वास्तविकता और सच्चाई हकीकत से कोसों दूर हैं। राजनीतिक

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

दलों की व्यवहारिक कार्यप्रणाली दोषपूर्ण एवं द्वेषपूर्ण हैं। इन दलों के मुखिया अपने सगे संबंधियों व नजदीकियों की महिलाओं को ही राजनीति में भागीदार बनाना चाहते हैं आम महिलाओं को नहीं।

लेकिन यह स्थिति अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है क्योंकि महिलाएं राजनीतिक रूप से धीरे–धीरे जागरूक हो रही हैं। वे राजनीति में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं। शिक्षा तथा जागृति से महिलाएं अधिकार को प्राप्त करने में समक्ष होंगी। यही कारण है कि आज महिलाएं इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सत्याग्रह व आन्दोलन शुरू करके राजनीतिज्ञों को इस अधिकार के विषय में अहसास करवाने में सक्षम हो रही हैं।

महिलाओं का विधायिका में आरक्षण वर्तमान में समय की मांग ही नहीं अपितु इसकी सख्त आवश्यकता है। इसे लम्बे समय तक टाला नहीं जा सकता। आज इस विधेयक का विरोध हमारी गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। यह समस्या महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की ही नहीं बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास की है। महिलाओं के इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाना पर्याप्त नहीं, कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए।

निःसंदेह आज महिलाएं शिक्षा, खेल, शासन, प्रशासन, कला, विज्ञान, अनुसंधान, अंतरिक्ष, साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति तथा सेना के हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहीं हैं लेकिन महिलाओं की सामाजिक दर्दुशा समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण महिला यौन शोषण, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, अपहरण, भ्रूण हत्या, प्रतिदिन प्रेमी जोड़ों की हत्या, कालेजों, विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में आत्महत्या, आदि सामाजिक बुराईयों से ग्रस्त एवं कुण्ठित है। जब तक सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर महिलाओं में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का निदान नहीं होता तब तक महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति प्रश्नचिन्हित रहेगी।

वर्तमान में भारतवर्ष में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी ने 23 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान का समूचे भारत में स्वागत किया गया है। हरियाणा की खाप पंचायतों व सामाजिक संगठनों ने भी इस अभियान का पुरजोर स्वागत किया है। आशा है कि इस योजना से महिलाओं की शिक्षा, दशा एवं दिशा में वृद्धि होगी।

वर्तमान में राजनीति में महिलाएं आगे आ रही हैं लेकिन पुरूषों के मुकाबले आज भी वे काफी पीछे हैं। राजनीति में महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं लेकिन इसके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली कारण पुरूषों की संकुचित विचारधारा एवं पुरूष प्रधानता की राजनीति है।

राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी और सत्ता में उनकी समान हिस्सेदारी के बिना हमारी आधुनिता, विकास और सभ्यता सब कुछ बेमानी है। इसलिए राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी हेतु समाज के सभी वर्गो को प्रयास करने होंगे तथा हम सबको अपनी–अपनी सोच बदलकर अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

वर्तमान में नारी सशक्त होकर भी अमर्यादित संकटों की जंजीरों में जकड़ी हुई है, जिससे नारी सशक्तिकरण पर प्रश्नचिह्न एक कलंक प्रतीत होता है। नारी आज भी निम्न मुख्य कुरीतियों से ग्रस्त है।

महिला हिंसा एवं उत्पीड़न

वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं के साथ अपराध की श्रृंखला में बलात्कार, अपहरण, हत्या, आत्महत्या, यौन उत्पीड़न आदि मुख्य रूप से पनप रही हैं। समाज में किस प्रकार के अपराध कितनी संख्या में हो रहे हैं, इसकी वास्तविक तस्वीर खींच पाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे अपराध तो ऐसे होते हैं जो प्रकाश में ही नहीं आ पाते। समाज में कौन–कौन से अपराध कितनी संख्या में इसकी कुछ सूचनाएं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों नई दिल्ली के प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया'[33] में दिए गए आंकड़ों से मिलती हैं। समूचे भारत में महिलाओ के विरूद्ध होने वाले अपराध 12.1 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व वर्षो में यह वृद्धि 7.11 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो अनुसार भारतवर्ष में 2012 में कुल 24923 बलात्कार के केस दर्ज किये गये जबकि 2007 से 2011 में बलात्कार के केसों की संख्या 22000 थी। जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से बलात्कार के केसों में 1.9 से 2.0 पर प्रति 1000 लोगों पर वृद्धि हुई है। जापान में 3.6, मास्कों में 4.6, बहरीन में 12.3, मैक्सिकों में 24.1, यू.के में 28.6 में, यूनाइटेड स्टेट में 66.5, स्वीडन म 114.9 बलात्कार के केस प्रति 1,00,000 लोगों पर हो रहे हैं।

भारत वर्ष में वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश में बलात्कार के केसों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल में बलात्कार के केस मध्य प्रदेश की तुलना में कम हैं। मुख्य नगरों/शहरों में मुंबई की अपेक्षा दिल्ली में वर्ष 2012 में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इस प्रकार के अपराध 18–30 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों में प्रचलित है। वर्ष 2012 में बलात्कार के कुल 101,041 केस न्यायालयों में पेश किये गये जिनमें से 3563 केसो में अपराधियों को सजा दी गई तथा 11154 केसों में आरोपी बरी किए गए। 292 केसिज वापिस ले लिए गए जिसका तात्पर्य है कि 23 प्रतिशत सजा दर, तथा 77 प्रतिशत केसों में बरी दर रही है। जिससे यह तथ्य सामने आया कि 77 प्रतिशत केसिज झूठे साबित हुए। भारतवर्ष में बलात्कार के अनदर्ज केसों की संख्या बहुत अधिक है, जिनकी प्रतिशतता में संख्या 54 प्रतिशत के आस–पास है। यह अनुमान मध्यकारक का है। लेकिन मिहिर श्रीवास्तव के अनुसार भारत में अनदर्ज बलात्कार केसों की संख्या 90 प्रतिशत है। यूनाइटेड स्टेट में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 65 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक है। विश्वविद्यालय सर्वे के अनुसार यू.के. में अनदर्ज केसों की संख्या 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि यू.एन. अध्ययन के अनुसार 57 देशों की बलात्कार के केसिज की दर्ज प्रतिशतता केवल 11 प्रतिशत है।

नीचे तालिका में भारत में 2008–2012 तक महिलाओं के प्रति विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत दर्ज केसिज की स्थिति को दर्शाया गया है–

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

तालिका[35]

क्रमांक	मुख्य अपराध	वर्ष 2008–	2009–	2010–	2011–	2012	2011 से 2012 की प्रतिशतता में अन्तर
1.	बलात्कार धारा 376 भा.द.स.	21467	21397	22172	24206	24923	3.0
2.	अपहरण धारा 363–373 भा.द.स.	23939	25741	29975	35565	38242	7.6
3.	दहेज हत्या धारा 302/304 भा.द.स.	8172	8383	8391	8618	8233	–4.5
4.	पति/रिश्तेदार द्वारा निर्दयता धारा 498–ए भा.द.स.	81344	89546	94041	99135	106527	7.5
5.	भा.द.स. की धारा 354 के अन्तर्गत असल्ट	40413	38711	40613	42968	45351	5.5
6.	भा.द.स. की धारा 509 के अन्तर्गत	12214	11009	9961	8570	9173	7.0
7.	विदेशों से लड़कियों का आयात धारा 366–ब भा.द.स.	67	48	36	80	59	–26.3
8.	दहेज निषेध एक्ट के अन्तर्गत	5555	5650	50182	6619	9038	–36.5

उपरोक्त तालिका से सिद्ध होता है कि वर्ष 2012 में महिलाओं के प्रति अपराधों में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में महिलाओं के प्रति अपराध की दर 41.7 रही है।

मेरा मानना है कि 21वीं सदी के इस क्रान्तिकारी दौर में महिला उत्पीड़न को निम्न तथ्य प्रेरित करने में सहायक हैं।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

पुरूष मानसिकताः पूर्वाग्रही सोच से ग्रस्त

(पप)

गिरते राजनीतिक स्तर का प्रभाव

(पपप)

वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति का गिरता स्तर

(पअ)

पारिवारिक मूल्यों में बदलाव

(अ)

नारी स्वभाव एवं नारी मानसिकता

(अप)

नारी शिक्षा का अभाव

(अपपप)

दोषपूण न्यायिक प्रक्रिया

वर्तमान में महिला यौन–उत्पीड़न अपराध एक गंभीर समस्या है। महिलाएं कहाँ और कैसे सुरक्षित रहेंगी? स्कूल–कॉलेज में शिक्षक से डर, घर–परिवार में पिता व भाई से डर, सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों से डर, रास्ते में अपराधिक पृष्ठभूमि के भेड़ियों से डर आखिर कैसे सुरक्षित हो–महिला? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल कानून व प्रशासन नहीं हो सकता। आवश्यकता है पुरूष की पूर्वाग्रही सोच में परिवर्तन की, आवश्यकता है नारी के सम्मान की, आवश्यकता है स्वयं महिलाओं को अपनी सोच बदलने की, आवश्यकता है पारिवारिक मूल्यों में बदलाव की, आवश्यकता है महिलाओं को दरिन्दगी का डट कर मुकाबला करने की। जब तक पुरूष की सोच में नारी का रूप–एक माँ, बहन, बेटी का नहीं आता तब तक इन अपराधों को रोक पाना संभव नहीं होगा।

शिक्षित महिलाओं में यौन–उत्पीड़न के अपराधों की संख्या वर्तमान में अधिक प्रतिशतता में है। शिक्षित महिलाओं विशेषकर पढ़ने वाली छात्राओं को सामाजिक मूल्यों की ओर विशेष ध्यान देना होगा तथा स्वयं को देश की सामाजिक तथा सांस्कृति पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर कदम रखने होंगे। इस प्रकार के घृणित अपराधों की रोकथाम के लिए पुरूष तथा महिला को अपनी–अपनी सोच में बदलाव करना होगा।

सख्त कानून, कठोरतम दण्ड व्यवस्था तथा न्यायिक पक्रिया में सुधार की सख्त आवश्यकता है। वर्तमान में समय की मांग है कि महिलाओं के अपराधों का निवारण विशेष अदालतों द्वारा तय समय–सीमा में किये जाने की।

© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 08 Issue: 02 | January - March 2017
Paper is available at www.jrps.in | Email : info@jrps.in

संदर्भ सूची

1.	स्वप्निल सारस्वत डा० निशान सिंह	समाज, राजनीति और महिलाएं (दशा और दिशा) राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–110002
2.	डा० ए.एन. अग्निहोत्री	महिला सशक्तिकरण और कानून सरस्वती प्रकाशन, कानपुर–21.
3.	डा० राजकुमार	नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली–110002
4.	इंटरनेट	गृह विभाग हरियाणा की संबंधित वेबसाइट
5.	समाचार पत्र	दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण (निरन्तर अध्ययन)